

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.2(5)न्याय/2012

जयपुर, दिनांक 14 0 JUL 2017

रजिस्ट्रार जनरल,
राजस्थान उच्च न्यायालय,
जोधपुर।

विषय:-लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 एवं कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट, 2005 के अन्तर्गत जयपुर में नवसृजित विशेष न्यायालय हेतु आवश्यक पद एवं बजट स्वीकृत करने बाबत।

सन्दर्भ:-इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 10.7.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 10.7.2017 के द्वारा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 एवं कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट, 2005 के अन्तर्गत जयपुर में नवसृजित एक विशेष न्यायालय हेतु निम्नलिखित पद, पद भरे जाने की तिथि से दिनांक 28.02.2018 तक सृजित करने हेतु माननीय राज्यपाल महोदय की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है:-

क0सं0	नाम पद	पदों की संख्या
1.	पीअसीन अधिकारी	1 पद
2.	मुसरिम	1 पद
3.	वरिष्ठ निजी सहायक	1 पद
4.	रीडर	1 पद
5.	सूचना सहायक	1 पद
6.	वरिष्ठ लिपिक	3 पद
7.	कनिष्ठ लिपिक	5 पद
8.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी प्रोसेस सर्वर सहित	5 पद
	कुल	18 पद

उक्त न्यायालय हेतु नवीन आइटम्स के लिये निम्नानुसार राशि स्वीकृत की जाती है:-

क0सं0	आइटम्स	राशि (राशि लाख रुपयों में)
1.	फर्नीचर	3.00
2.	टेलिफोन (1 कार्यालय एवं 1 निवास हेतु)	0.02
3.	कम्प्यूटर एवं प्रिन्टर (3)	1.80
4.	फोटो स्टेट मशीन	0.75
5.	कुल	5.57

उक्त न्यायालय हेतु भवन निर्माण के अतिरिक्त अन्य व्यय मय नवीन आइटम्स बजट शीर्ष 2014-00-105-(19)-[01] में उपलब्ध प्रावधान से बतल विषय जायगा।

उक्त न्यायालय के भवन निर्माण के लिए भारत सरकार से केन्द्रीय हिस्से की 60% राशि प्राप्त होने पर भूमि की उपलब्धता होने पर तखमीने सहित प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने पर राशि स्वीकृत की जायेगी।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-5) विभाग की आई.डी. संख्या 01702870 दिनांक 07.07.2017 द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसार जारी की जाती है।

भवदीय

4
[Signature]

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर।
2. वित्त व्यय-5/वित्त बजट विभाग।
3. रजिस्ट्रार (प्रशासन) राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर को भारत सरकार को भवन निर्माण हेतु केन्द्रीय सहायता राशि स्वीकृत करने के लिये प्रस्ताव भिजवाने हेतु।
4. रजिस्ट्रार (प्रशासन) राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच, जयपुर।
5. रक्षित पत्रावली।

[Signature]
संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

क्रमांक : जी/आई/ए-4(i)(a)87/17/ 5733

दिनांक : 20/7/17

प्रतिलिपि मय प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, जयपुर के पत्र दिनांक 10.07.17 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. जिला न्यायाधीश, जयपुर महानगर एवं जयपुर जिला।
02. प्र.अ.न्या. (भवन शाखा), राजस्थान उच्च न्यायालय को भवन संबंधी कार्यवाही के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
03. A.O.J.(Classification) (Website), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर / पीठ जयपुर, जयपुर को Upload करने बाबत।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

[Signature]
रजिस्ट्रार (प्रशासन)